Sanskritik aur Samajik Anusandhan
www.shodhjournal.com
ISSN: 2582-5852
Received: 02-09-2025, Accepted: 01-10-2025, Published: 16-10-2025
Volume 6, Issue 2, 2025, Page No. 14-15

भारत में मानवाधिकारों की रक्षा में एनएचआरसी की भूमिका

Manna Ram Patel
Assistant Professor, Political Sicence Govt. SNG College Mungeli, Chhattisgarh, India

सारांश
भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रमुख ध्येय देष में प्रत्येक नागरिकों के मूलभूत मानवाधिकारोंकी रक्षा और इनका संवर्द्वन करना है। यह आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, जो सरकार, न्यायपालिका और जनता के बीच सेतु की भूमिका निभाता है। यह आयोग नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा हेतु सक्रिय संस्था के रूप में कार्य करता है। साथ ही पीड़ितो को भी न्याय दिलाने हेतु समय–समय पर सरकार को अनुशंसाएँ भेजता है। यह केन्द्र व राज्य सरकारों को मानवाधिकार रूपक नीतियॉ बनाने में परामर्ष देता है। इस प्रकार एनएचआरसी भारतीय लोकतंत्र में मानव गरिमा की रक्षा हेतु एक प्रतिबद्व संस्था के रूप में कार्य कर रहा है।

मूल शब्दः मूलभूत अधिकार, आयाम, नागरिक जीवन, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, मसलन, गंभीर मुद्दा, आजादी, जागरूकता, एलजीबीटी समुदाय।

प्रस्तावना
गौरतलब है, कि द्वितीय विष्व युद्ध के समापन के बाद 1948 में 48 देषों के समूह ने समूची जाती के मूलभूत अधिकारों की व्याख्या करते हुए एक चार्टर पर हस्ताक्षर किये। इसमें माना गया था कि व्यक्ति के मानवाधिकारों की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। भारत ने भी इस पर सहमति जताते हुए यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किये। हालांकि देश में मानवाधिकारों से जुड़ी एक स्वतंत्र संस्था बनने में 45 वर्ष लग गये। और कही जाकर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपने अस्तित्व में आया। जो समय–समय पर मानवाधिकार के हनन के संदर्भ में केन्द्र तथा राज्यों को अपनी अनुशंसाए भेजता है। आज देश में जिस तरह का माहौल आए दिन देखने को मिलता है वैसे में मानवाधिकारों व उससे जुड़े आयामो पर चर्चा करना महत्वपूर्ण हो जाता है। देश भर में माब लिचींग की घटनाएँ, मुजफ्फर, देवरिया के शेल्टर होम के बच्चियों के साथ हुए विभत्स कृत्य देष में मानवाधिकारों की धज्जियॉ उड़ाते दिखते है। कई विवादास्पद घटनाएँ मसलन अपारेशन ब्लूस्टार के बाद उत्तपन्न दंगे, बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद देश भर में हए फसाद, गुजरात में हुए हिन्दु मुस्लिम दंगे, कश्मीर, पश्चीम बंगाल, मणिपुर अन्य राज्यों में आए दिन हो रहे दंगे इत्यादि के समय भी देश के नागरिकों के मानवाधिकारों का हनन किसी से छिपा नहीं है। हालाकि कई ऐसे मसले हमें देखने को मिल जाते है। जब मानवाधिकारों के मसले का गंभीर मुद्दा उठाते हुए एनएचआरसी पर कर्तव्यों का बखूबी पालन करता है। तो क्या इसे एक निष्प्रभावी संस्था मान लिया जाय। लिहाजा सवाल उठता है कि इस लाचारी के क्या कारण है या कोई इस लाचारी का समाधान है। आइये इन्ही सवालों के जवाब तलाशने के लिए मानवाधिकारों का मतलब जान लेना और यह किस अर्थ में मौलिक अधिकार से जुदा है यह समझ लेना बेहतर होगा।

मानवाधिकार क्या है ?
सरल शब्दों में कहे तो मानवाधिकार हर व्यक्ति का एक नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार है। इसके दायरे में जिंदगी, आजादी, बराबरी, और सम्मान का अधिकार, गरिमामय जीने का अधिकार, नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल है।

मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकार देश के संविधान में उल्लिखीत है, ये देश के नागरिकों को और किन्ही परिस्थितियों में देश में निवास कर रहे सभी लोगों को प्राप्त होता है।

मानवाधिकार संरक्षण
बहरहाल भारत ने मानवाधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में क्या कुछ किया है इसके संदर्भ में चर्चा कर लेते है। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन करके व राज्य मानवाधिकार आयोग की गठन की व्यवस्था करके मानवाधिकारों के उल्लघंन से निपटने का एक मंच प्रदान किया है। यह मानवाधिकारों की रक्षा की दिशा में देश की सर्वोच्च संस्था व मानवाधिकारों का लोकपाल है। उच्च उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते है। यह एशिया के मानवाधिकार फोरम का संस्थापक सदस्य है। यह आयोग मानवाधिकारों के वैश्विक संगठन का हिस्सा है। एनएचआरसी की धारा 12 ज में यह परिकल्पना की गई है कि यह आयोग समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकारों की साक्षरता का प्रचार करेगा तथा प्रकाशनों मिडिया व सेमीनारों व अन्य माध्यमों का उपयोग के जरिये इसके संबध में जागरूकता फैलाएगा। साथ ही आम नागरिकों, बच्चो, महिलाओं, वृद्वजनों, एलजीबीटी समुदाय के लोगों की रक्षा के लिए समय–समय पर सिफारिषें सरकार तक पहुचाई है और सरकार ने कई सिफारिषें पर अमल करते हुए संविधान में इनके लिए उपयुक्त संषोधन भी किये है।

मानवाधिकार क्यों महत्त्वपूर्ण हैं?
मानवाधिकार किसी व्यक्ति को दुर्व्यवहार या भेदभाव से बचाता हैं क्योंकि सभी को शारीरिक और बौद्धिक रूप से विकसित होने का समान अवसर मिलना चाहिये। सामाजिक अन्याय और समाज में प्रचलित बुरी प्रथाओं के खिलाफ व्यक्ति बोल सकते हैं।मानवाधिकार गारंटी देता है कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को संबोधित किया जाए। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानवाधिकारों के माध्यम से प्रचारित की जाती है।धार्मिक स्वतंत्रता मानव अधिकारों द्वारा संभव है।मानव अधिकारों द्वारा सरकार की जवाबदेही के लिये एक समान मानदंड प्रदान किया जाता है।

एनएचआसी के कार्य

मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला यदि एनएचआसी के संज्ञान में आता है या शिकायत के माध्यम से लाया जाता है तो एनएचआसी को उसकी जाँच करने का अधिकार है। इसके पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है।आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण एवं उसमे सुधार के लिये सुझाव दे सकता है। एनएचआसी संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा मानवाधिकारों को बचाने के लिये प्रदान किये गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है और उनमें बदलावों की सिफारिश भी कर सकता है। एनएचआसी मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी करता है। आयोग प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य माध्यमों से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकारों से जुड़ी जानकारी का प्रचार करता है और लोगों को इन अधिकारों की सुरक्षा के लिये प्राप्त उपायों के प्रति भी जागरूक करता है।आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियाँ हैं और यह अंतरिम राहत भी प्रदान कर सकता है।इसके पास मुआवजे या हर्जाने के भुगतान की सिफारिश करने का भी अधिकार है।एनएचआसी की विश्वसनीयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके पास हर साल बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज होती हैं। यह राज्य तथा केंद्र सरकारों को मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिये महत्त्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिश भी कर सकता है। आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है।

भारत में मानवाधिकारों की स्थिति

इसके बावजूद भारत में कई दफा देखने को मिलता है कि जिस हिसाब से व्यक्ति के मानवाधिकार की रक्षा होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाती तो क्या इसके लिए मानवाधिकार आयोग को दोषी मान लिया जाय या फिर हमारे यहॉ की व्यस्था में ही खोट है।आइये इस पर सरसरी निगाह डाल लेतें है कि भारत में मानवाधिकार की स्थिति क्या है। देष के विशाल आकार और विविधता, विकाशसील तथा संप्रभुता, धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य औपनिवेषिक इतिहास के परिणाम स्वरूप भारत में मानवाधिकारों की परिस्थिति एक प्रकार से जटिल हो गई है। भारत का संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिसमें धर्म की स्वतंत्रता भी निहीत है इसके बावजूद राजनीतिक कारणों से कट्टरपंथियों द्वारा आये दिन सांप्रदायिक दंगे करवाये जाना जो आम है। इसमें किसी एक धर्म के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता है बल्कि उन सभी लोगों के मानवाधिकार आहत होतें है जो इस घटना के शिकार होते है। जिनका घटना से कोई तालुकात नहीं होता।अप्सफा कानून भी राज्यों से हटा दिये गये जो पूर्व में समय–समय पर मानवाधिकारों की धज्जियॉ उड़ाते दिखते है। लिहाजा यह सवाल उठता है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी भारत में मानवाधिकार पल–पल प्रताड़ना का दंश क्यों झेल रहा है। ऐसे में यह बताना जरूरी हो जाता है कि ऐसी कौन सी चुनौतियॉ है जिनके कारण एनएचआरी मानवाधिकारों की सुरक्ष करने में खुद को लाचार पा रहा है।

एनएचआरसी के समक्ष चुनौतियॉ

एनएचआरसी के पास जाँच करने के लिये कोई भी विशेष तंत्र नहीं है। अधिकतर मामलों में यह संबंधित सरकार को मामले की जाँच करने का आदेश देता है। पीड़ित पक्ष को व्यावहारिक न्याय देने में असमर्थ एनएचआरसी की सिफारिषें बाध्यकारी नहीं कई बार धन की अपर्याप्ता भी, न, एनएचआरसी के कार्य में बाधा डालती है। घटना के 1 वर्ष बाद दर्ज षिकायत पर यह कार्यवाही नहीं कर सकता। स्वयं मानवाधिकार के सदस्य तभी सचेत होते है जब बालात्कार, फेक इनकाउटर, जातिगत या सांप्रदायिक दंगे या बहुत बड़ा हादसा हो जाता है आदि ।

सुझाव

एनएचआरसी को सही मायनों में मानवाधिकारों के उल्लघंन का एक कुशल प्रहरी बनाने के लिये उसमें कई सुधार करने की आवष्यकता है। सरकार द्वारा आयोग के निणर्यों को पूरी तरह से लागू करके उसकी प्रभावशीलता में वृद्वि की जा सकती है। एनएचआरसी का यह भी कर्त्व्य है कि वह देश के संजीदा मसलो पर अपनी मौजूदगी जताकर समस्याओं का समाधान खोजकर सरकार की मदद करे। भारत के मामले में पूरे देश में मानवाधिकारों के हनन का अधिक प्रभावी प्रहरी बनने के लिये एनएचआरसी को काफी हद तक नया रूप दिया जाना चाहिये। यदि आयोग की सिफारिशों को कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया जाता है तो एनएचआसी की प्रभावकारिता बढ़ जाएगी। यदि भारत में मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार और मजबूती लाना है तो राज्य व गैर–राज्य संस्थाओं को सहयोग एवं नेतृत्व करना चाहिये। पुराने कानूनों और प्रावधानों को परिस्थितियों की नवीनतम मांग के अनुसार संरेखित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

जरूरत है सिर्फ नेक पहल की तभी सही मायनो में मानवाधिकारों की रक्षा हो पायेगी। जब देश के सभी लोग व संस्थाऍ, मिडीया मिलजुल कर देश की एकता, अखण्डता, सम्प्रभुत्ता को बरकरार रखने में एक–दूसरे का सहयोग करें।

संदर्भ ग्रंथ

1. हरीष खत्री, मानवाधिकार, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल
2. बी0ए0 फाड़िया एवं कुलदीप फाड़िया, अंतर्रायट्रीय राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा
3. शुभा सिंग, स्मृतियो में मानवाधिकार की अवधारणा.
4. एस0एन0सिंग, हयूमन राइट एजुकेशन इन इण्डिया
5. आर0एन0 शर्मा, हयूनम राइट एण्ड ला
6. एस0पी0 अग्रवाल, हयूमन राइट इन इण्डिया
7. दृष्टि पत्रिका
8. नवभारत, पत्रिका, नई दुनिया